न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–94 / 2023 दायर दिनांक: 13.6.2023

GCMS NO:- 2023/167 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. अंकित आ0 रामकल्याण जाति मीणा नि0 बिशनपुरा।
2. कुलदीप आ0 रामकल्याण जाति मीणा नि0 बिशनपुरा।
3. ब्रह्मा पत्नी रामकल्याण जाति मीणा नि0 बिशनपुरा।
4. रामदास आ0 रामकल्याण जाति मीणा नि0 बिशनपुरा।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री विमल कुमार साहू।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कुम्हारिया प.म. कुम्हारिया मे खसरा नम्बर 460, 461, 877 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2976 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से आस पडोस के खातेदार विवाद करते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा पेश व शपथ पत्र पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न है। उक्त प्रकरण को चलते लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है तथा यह एक समरी ट्रायल है एवं तहसीलदार नैनवॉ की आदिनांक तक रिपोर्ट अप्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम कुम्हारिया प.म. कुम्हारिया मे खसरा नम्बर 460, 461, 877 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2976 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ